स्वकर निर्धारण की जांच को पहुंचे निदेशक

कागजात की जांच करते नगर विकास विभाग के निदेशक

■ फॉर्म से स्थल की नापी कर किया मिलान

प्रतिनिधि ▸ दरभंगा

संपत्ति कर के निर्धारण एवं वसूली की जांच के लिए गुरुवार को नगर विकास विभाग के निदेशक भरत झा निगम कार्यालय पहुंचे. जांच के लिए राज्य स्तरीय राजस्व वर्धन टास्क फोर्स की नगर निगम संपत्ति कर के निर्धारण व वसूली की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय टीम पहुंची थी. कार्यालय पहुंच कर टीम ने 10 बड़े होल्डिंग के स्वकर निर्धारण फार्म की कॉपी की मांग की. 10 कॉपी में तीन का चयन कर टीम स्थल पर पहुंची. फीता आदि से नापी कर कागजों का मिलान करने पर सही पाया. वार्ड नंबर 20 के एपी पैलेस, वार्ड 19 के सिटी लाइफ व वी-मार्ट के स्वकर निर्धारण की जांच की गयी. टीम जांच का प्रतिवेदन प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सौंपा जायेगा. जांच टीम में विभाग के यासिर शाहीद भी शामिल थे. इस दौरान नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह, राजस्व प्रभारी प्रजापति मिश्र, तहसीलदार मो तनवीर, मो इम्तियाज, गोविंद कुमार झा, संजय कुमार चौधरी, प्रकाश कुमार पासवान आदि मौजूद थे.

24° अधिकतम | 11° न्यूनतम | सूर्योदयः 06:37 सूर्यास्तः 17:16

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अब पांच जगहों पर बनेंगे

पटना | वरीय संवाददाता

शहरवासियों को अब जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए निगम मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अब यह सुविधा उनके घर के आसपास ही उपलब्ध होगी। मंगलवार से लोग जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अंचल कार्यालयों में भी आवेदन दे सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ निगम की जन्म-मृत्यु शाखा में ही थी।

निगम का कंकड़बाग अंचल कार्यालय टेंपो स्टैंड के पास, बांकीपुर अंचल कार्यालय राजेंद्र नगर गोलंबर के पास लोहानीपुर में, एनसीसी अंचल कार्यालय गर्दनीबाग में और पटना सिटी अंचल कार्यालय मीना बाजार में है। नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने प्रमाणपत्र से संबंधित जरूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। ई-म्यूनिसिपैलटी के तहत नागरिकों को जरूरी सुविधाएं निगम द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। लोग अब ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं।

सुविधा

- चारों अंचल कार्यालय में भी मंगलवार से कर सकते हैं आवेदन
- पहले केवल नगर निगम मुख्यालय में ही होता था आवेदन

07 से 15 दिनों के लिए लगेगा होल्डिंग टैक्स जमा काउंटर

वार्डों में लगेंगे होल्डिंग टैक्स जमा काउंटर

होल्डिंग टैक्स बकाया वसूलने व जमा को प्रोत्साहन देने के लिए निगम अब वार्डों में कैंप लगाएगा। यह कैंप सात से 15 दिनों के लिए लगेगा। नगर आयुक्त ने कहा कि कैंप पहले उन वार्डों में लगेंगे जहां बकायेदारों और नए निर्माण की संख्या ज्यादा होगी। उन्होंने शहर के बड़े बकायेदारों और उन सरकारी भवनों की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं, जिनका होल्डिंग टैक्स भुगतान नहीं हुआ है। इस सूची में 10 से 50 हजार के बीच तथा 50 हजार से अधिक के बकायेदारों को शामिल करना है।

कचरा फेंकने पर 200 तक जुर्माना

पटना। पटना नगर निगम ने शहर और सड़क पर गंदगी फैलानेवाले लोगों के लिए जुर्माना की राशि तय कर दी है। व्यक्तिगत अथवा निजी घरों से निकले कचरे को फेंकने पर 100 रुपये तथा संस्थागत गंदगी पर 200का जुर्माना वसूला जाएगा। संस्थागत में दुकान और निजी-सरकारी कार्यालयों को शामिल किया गया है। निगम प्रशासन द्वारा तैयार प्रस्ताव में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को होनेवाली निगम की सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को रखा जाएगा। स्थायी समिति की मंजूरी और निगम बोर्ड से सहमति मिलने के बाद इसे पूरे शहर में लागू किया जाएगा।

सफाई होगी चाक-चौबंद : नगर आयुक्त ने बताया कि निगम अब शहर की मुख्य सड़कों पर दिन में दो बार झाड़ू लगाने तथा आरओबी को सप्ताह में दो बार धुलवाने की व्यवस्था कर रहा है। प्रकाश पर्व के लिए लाए गए मोबाइल टॉयलेट और यूरिनल भीड़भाड़ वाले बाजारों व सड़कों पर लगाए जाएंगे। प्रत्येक 500 मीटर पर यूरिनल और एक किलोमीटर की दूरी पर शौचालय रखे जाएंगे। कचरा फेंकनेवालों पर निगरानी रखने के लिए निगम प्रमुख बाजारों व भीड़भाड़वाले इलाके पर सीसीटीवी से नजर रखने की तैयारी में है। इसके लिए भी निगम में योजना बनाई जा रही है।